

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 93]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 24 फरवरी 2021—फाल्गुन 5, शक 1942

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 24 फरवरी, 2021

क्र. 2958-मप्रविस-15-विधान-2021.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, सिविल प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 10 सन् 2020) जो विधान सभा में दिनांक 24 फरवरी 2021 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १० सन् २०२०

सिविल प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, २०२०

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम को संक्षिप्त नाम सिविल प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) अधिनियम, २०२० है.

मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में केन्द्रीय अधिनियम १९०८ का ५ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश राज्य का लागू हुए रूप में सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है) को इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए.

पहली अनुसूची का संशोधन.

३. मूल अधिनियम की पहली अनुसूची में,—

(१) आदेश १८ में,—

(एक) नियम ४ में,—

(क) विद्यमान पार्श्व शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित पार्श्व शीर्ष स्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“वाणिज्यिक न्यायालय में साक्ष्य लेखबद्ध करना”;

(ख) उपनियम (१) में, शब्द “प्रत्येक वाद में” के स्थान पर, शब्द, कोष्ठक और अंक “कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, २०१५ (२०१६ का ४) की धारा ३ की उपधारा (१) के अधीन गठित वाणिज्यिक न्यायालय में विचारण योग्य किसी विनिर्दिष्ट मूल्य के वाणिज्यिक विवाद के संबंध में किसी वाद में” स्थापित किए जाएं;

(दो) नियम ४ के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

साक्षियों की परीक्षा खुले न्यायालय में की जाएगी.

“४-क. नियम ४ में यथा उपबंधित के सिवाय, हाजिर साक्षियों का साक्ष्य खुले न्यायालय में न्यायाधीश की उपस्थिति में और उसके वैयक्तिक निदेशन और अधीक्षण में मौखिक रूप से लिया जाएगा.”

आदेश २०-ख का अंतःस्थापन.

(२) आदेश २०-क के पश्चात्, निम्नलिखित आदेश अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात् :—

“आदेश २०-ख

इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित आदेशों, निर्णयों और डिक्रियों की मान्यता

१. इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्ताक्षरित आदेशों, निर्णयों और डिक्रियों की मान्यता.—कोई पारित आदेश, सुनाया गया निर्णय या तैयार की गई डिक्री, जिसका न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित किया जाना अपेक्षित है, न्यायाधीश द्वारा हस्ताक्षरित की गई समझी जाएगी, यदि ऐसा आदेश, निर्णय या डिक्री को ऐसी रीति में, जैसी कि उच्च न्यायालय द्वारा विहित की जाए, न्यायाधीश द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के माध्यम से अधिप्रमाणित किया गया है.”

उद्देश्यों और कारणों का कथन

वर्ष २००२ में, केन्द्र सरकार ने, विचारण में विलंब को रोकने तथा न्यायालय के समय की बचत करने के आशय से सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का ५) के आदेश १८ के नियम ४ को संशोधित किया है किन्तु यह अनुभव किया जा रहा है कि पक्षकार द्वारा साक्षी के रूप में या साक्षी द्वारा प्रस्तुत शपथपत्र में असंगत बातें अंतर्विष्ट होती हैं, जिसमें ऐसी बातें भी होती हैं जो साक्षी के व्यक्तिगत ज्ञान में नहीं होतीं, वस्तुतः संपूर्ण अभिवचन पुनः प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, अतएव, विरोधी पक्षकार के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह साक्षी के प्रत्येक बिन्दु पर प्रतिपरीक्षा करे, जो कि बहुमूल्य न्यायिक समय का अपव्यय है।

२. साक्षी की प्रतिपरीक्षा के समय, यह अनुभव किया जा रहा है कि साक्षी को शपथ-पत्र पर दिए गए मुख्य परीक्षा में उल्लिखित तथ्यों का कोई ज्ञान नहीं होता और न्यायालय भी साक्षी की भावभंगी को अभिलिखित करने में असफल रहता है, क्योंकि प्रतिपरीक्षा आयुक्त के समक्ष अभिलिखित की जाती है। प्रक्रिया के अनुसार, भले ही मुख्य परीक्षा शपथपत्र पर प्रस्तुत की गई हो, तो भी दस्तावेजों की ग्राहयता को विनिश्चित करने के लिए मुख्य परीक्षा न्यायालय के समक्ष ही अभिलिखित की जाती है।

३. न्यायालय अभिलेखों का डिजिटीकरण समय की आवश्यकता है। ई-न्यायालय परियोजना, राष्ट्रीय नीति एवं ई-समिति (भारत का उच्चतम न्यायालय) द्वारा प्रस्तुत भारतीय न्यायपालिका-२००५ में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) के क्रियान्वयन के लिए कार्य योजना, के आधार पर न्यायालयों के सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी को सक्षम बना कर भारतीय न्यायपालिका के रूपांतरण की परिदृष्टि से अवधारित की गई थी। ई-न्यायालय समेकित मिशन रीति परियोजना, देश के उच्च न्यायालयों एवं जिला/अधीनस्थ न्यायालयों में क्रियान्वित की जा रही राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस परियोजनाओं में से एक है। ई-न्यायालय परियोजना का उद्देश्य देश में जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों के सार्वभौमिक कम्प्यूटरीकरण द्वारा मुक्किलों, अधिवक्ताओं एवं न्यायपालिका को अभिहित सेवाओं को प्रदान करना एवं न्याय प्रक्रिया की सूचना एवं संचार सक्षमता की वृद्धि है।

४. मध्यप्रदेश के जिला न्यायालयों में ई-न्यायालय समेकित मिशन रीति परियोजना के अधीन डिजिटीकरण प्रक्रिया जारी है और भविष्य में कागज रहित न्यायालय बनाने की स्कीम है। चूंकि न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश को सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के आदेश २० के नियम ३ के अनुसार न्यायाधीश द्वारा हस्तकृत हस्ताक्षर किया जाना अपेक्षित है और वर्तमान में डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा निर्णय पर अधिप्रमाणन/हस्ताक्षर का कोई ऐसा उपबंध नहीं है, यदि यह विधि द्वारा अधिप्रमाणित नहीं किया जाता है, तो इसका कोई महत्व नहीं होगा।

५. उपरोक्त दृष्टिकोण से और विचारण में विलम्ब को रोकने के आशय से तथा न्यायालय के समय की बचत करने हेतु, मध्यप्रदेश राज्य को लागू हुए रूप में सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ के आदेश १८ के नियम ४ को संशोधित करने तथा नियम ४-क को अंतःस्थापित करने तथा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा निर्णय पर अधिप्रमाणन/हस्ताक्षर के संबंध में आगे की परेशानियों से बचने के लिए नए आदेश २०-ख को अंतःस्थापित करने की आवश्यकता अनुभव की गई है।

६. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख १४ सितम्बर, २०२०.

डॉ. नरोत्तम मिश्र

भारसाधक सदस्य.

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड-३ द्वारा सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ (१९०८ का अधिनियम संख्यांक ५) की प्रथम अनुसूची में अंतःस्थापन किए जाने वाले आदेश २०-ख के नियम १ में ऐसा आदेश, निर्णय डिक्री न्यायाधीश द्वारा किए गए इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के माध्यम से किए जाने हेतु नियम विहित किये जाने संबंधी विधायनी शक्तियां उच्च न्यायालय को प्रत्यायोजित की गई है।

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 108]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 26 फरवरी 2021—फाल्गुन 7, शक 1942

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी 2021

क्र. 3078-106-इक्कीस-अ(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में सिविल प्रक्रिया संहिता (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2020 (क्रमांक 10 सन् 2020) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. गुप्ता, अवर सचिव.

MADHYA PRADESH BILL
NO. 10 OF 2020

THE CODE OF CIVIL PROCEDURE (MADHYA PRADESH AMENDMENT) BILL, 2020

A Bill further to amend the Code of Civil Procedure, 1908 in its application to the State of Madhya Pradesh.

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-second year of the Republic of India as follows :—

Short title. 1. This Act may be called the Code of Civil Procedure (Madhya Pradesh Amendment) Act, 2020.

Amendment of Central Act V of 1908 in its application to the State of Madhya Pradesh. 2. The Code of Civil Procedure, 1908 (V of 1908) (hereinafter referred to as the principal Act) in its application to the State of Madhya Pradesh be amended in the manner hereinafter provided.

Amendment of First Schedule. 3. In the First Schedule to the principal Act,—

(1) in order XVIII,—

(i) in rule 4,

(a) for the existing marginal heading, the following marginal heading shall be substituted, namely:—

“Recording of evidence in Commercial Court”;

(b) in sub-rule (1), for the words “In every case”, the words, brackets and figures “In any suit in respect of a commercial dispute of a specified value triable in the Commercial Courts constituted under sub-section (1) of Section 3 of the Commercial Courts Act, 2015 (No. 4 of 2016)” shall be substituted;

(ii) after rule 4, the following rule shall be inserted, namely:—

“4-A. Except as provided in rule 4, the evidence of the witnesses in attendance shall be taken orally in open Court in the presence and under the personal direction and superintendence of the Judge.”.

Witnesses to be examined in open Court.

Insertion of Order XX-B.

(2) After Order XX-A, the following order shall be inserted, namely:—

“ORDER XX-B

RECOGNITION OF ELECTRONICALLY SIGNED ORDERS, JUDGMENTS AND DECREES

Recognition of Electronically Signed Orders, Judgments and Decrees. 1. Any order passed, judgment pronounced or decree prepared which is required to be signed by a Judge shall be deemed to have been signed by the Judge, if such order, judgment or decree has been authenticated by means of electronic signature affixed by the Judge in such manner as may be prescribed by the High Court.”.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In the year 2002, the Central Government amended rule 4 of Order XVIII of the Code of Civil Procedure, 1908 (No. V of 1908) with intent to avoid delay in trial and to save time of the Court, but it is being experienced that the affidavit filed by the party as a witness or of a witness contains irrelevant matters, which also contains the matter not in personal knowledge of the witness, rather the whole pleadings are reproduced, therefore, it becomes necessary for the opposite party to cross examine the witness on each and every point, which is wastage of precious judicial time.

2. At the time of cross examination of a witness, it is being experienced that the witness has no knowledge of the facts mentioned in examination-in-chief given on affidavit and the Court also fails to record the demeanor of the witness as the cross examination is recorded before commissioner. As per procedure, even if examination-in-chief is filed on affidavit, further examination-in-chief is recorded before the court to decide admissibility of the documents.

3. The digitization of the Court records is the need of the hour. The e-Courts project was conceptualized on the basis of the National Policy and Action Plan for Implementation of Information and Communication Technology (ICT) in the Indian Judiciary-2005 submitted by e-committee (Supreme Court of India), with a vision to transform the Indian Judiciary by ICT enablement of Courts. The e-Courts Integrated Mission Mode Project is one of the national e-Governance projects being implemented in High Courts and District/ Subordinate Courts of the Country. The objective of the e-Courts project is to provide designated services to litigants, lawyers and the judiciary by universal computerization of District and Subordinate Courts in the country and enhancement of ICT enablement of the justice system.

4. Under the e-Courts Integrated Mission Mode Project in the District Courts of Madhya Pradesh, the digitization process is going on and in future there is Scheme to make paperless Court. As the judgments and orders passed by the Courts are required to be signed by the Judge manually as per rule 3 of Order XX of the Code of Civil Procedure, 1908, and at present there is no such provision of authentication/signature on the judgment by digital signature, unless it is authenticated by law, shall have no value.

5. In view of the above and with intent to avoid delay in trial and to save time of the Court, it has been felt necessary to amend rule 4 and insert rule 4-A in Order XVIII and to avoid further complication related to authentication/signature on the judgment by digital signature, insert a new order as XX-B in the Code of Civil Procedure, 1908, in its application to the State of Madhya Pradesh.

7. Hence this Bill.

BHOPAL:

Dated the 14th September, 2020

DR. NAROTTAM MISHRA
Member-in-charge.